(2

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प.2(8)गृह–5/2010 जयपुर, दिनांक : 07–07–2010

परिपत्र

राज्य में साम्प्रदायिक घटनाओं के निराकरण के सम्बन्ध में गृह विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(8)गृह–13/2008 दिनांक 11–02–2008 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा सामान्य समय में जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता एवं सजगता, साम्प्रदायिक तनाव, दंगा व हिंसा से पूर्व की व्यूह रचना, साम्प्रदायिक तनाव, दंगों व हिंसक दंगों के दौरान स्थितियों से निपटने की व्यूह रचना, साम्प्रदायिक तनाव व घटना के बाद की कार्यवाही तथा घटनाओं का तथ्यात्मक विश्लेषण व अन्य कार्यवाहियों के शीर्षक के तहत विभिन्न उपशीर्षकों द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये थे।

कतिपय प्रकरणों में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति बनने अथवा साम्प्रदायिक घटना घटित होने की सूचना राज्य सरकार को विलम्ब से प्राप्त हुई है। इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त उल्लेखित परिपत्र की निरन्तरता में निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य में किसी भी साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति बनने अथवा साम्प्रदायिक घटना घटित होने की सूचना अविलम्ब मुख्यमंत्री कार्यालय एवं गृह विभाग को प्रेषित की जाये।

उक्त निर्देशों की सम्यक् रूप से पालना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक का होगा ।

(टी॰ श्रीनिवासन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रमाणित
17/1/17
(जगदीप सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव